क्राउन काउंसल नीति नियम-पुस्तिका - परिचय

प्रभावी होने का दिनांक:

मार्च 1, 2018

उद्देश्य

विधि-शासन यानी कानून के शासन की दृष्टि से स्वतंत्र, निष्पक्ष, एवं प्रभावी अभियोजन) मुकदमा चलाने की कार्यवाही (आवश्यक हैं। सुविकसित नीतिगत दिशानिर्देशों के द्वारा न्याय प्रणाली को समृद्ध बनाया गया है। ये दिशा-निर्देश उन कठिन निर्णयों में क्राउन काउंसल की सहायता करते हैं जो उन्हें जनहित में लेने जरूरी होते हैं।

क्राउन काउंसल नीति नियम-पुस्तिका में क्राउन काउंसिल द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए, जिसमें आरोप का निर्धारण, वैकल्पिक उपाय, और समाधान चर्चा जैसी मूलभूत अभियोजन संबंधी बातें भी शामिल हैं, सामान्य एवं स्थिति-विशिष्ट दोनों प्रकार का मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है।

ये नीतियां लोक दस्तावेज होते हैं। इन्हें प्रकाशित करने से पारदर्शिता के लक्ष्य को बढ़ावा मिलता है। इसके द्वारा यह समझाने में सहायता मिलती है कि अलग-अलग मामलों में अभियोजन सेवा कैसे प्रदान की जाती है और कैसे अभियोजक जनहित में अपनी संवैधानिक स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं।

क्राउन काउंसल नीति नियम-पुस्तिका को कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। यह किसी भी प्रकार से *क्रिमिनल कोड* , *कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स* अथवा किसी भी अन्य लागू कानून से बढ़कर नहीं है और इसका उद्देश्य किसी भी कानूनी कार्यवाही में न तो जनता को कानूनी सलाह देना है और न ही कानून द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार सृजितत करना है।

वाक्यांशों के अर्थ

दि बीसी प्रासिक्यूशन सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ अटॉर्नी जनरल की क्रिमिनल जस्टिस ब्रांच या फौजदारी न्याय शाखा है (इसे “दि ब्रांच” यानी शाखा भी कहते हैं)। इन शब्दों का प्रयोग संपूर्ण क्राउन काउंसल नीति नियम-पुस्तिका में एक-दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। इसके अलावा, इस नियम-पुस्तिका में नीति के किसी भी उल्लेख का आशय बीसी प्रासिक्यूशन सर्विस से है, जब तक विशिष्ट रूप से अन्यथा न बताया गया हो।

क्राउन काउंसल नीति नियम-पुस्तिका के भीतर, दो शब्दों "चाहिए" और "जरूरी है" के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर भी समझना होगा:

> "क्राउन काउंसल को चाहिए" का अर्थ है कि क्राउन काउंसल द्वारा सामान्यत: नीतिगत दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा ,जब तक कि वह तय न कर ले कि न्याय की दृष्टि से उस नीतिगत दिशानिर्देश की असंगति में

निर्णय लेना जरूरी है।

"क्राउन काउंसल के लिए जरूरी है" का अर्थ, *क्राउन काउंसल एक्ट* की धारा 4(3) के तहत असिस्टेंट डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल (ADAG) का निर्देश होता है।

विज़न, मिशन और मूल्य

ब्रांच के विजन, मिशन और मूल्य ब्रांच नीति तैयार करने और उसकी व्याख्या का अभिन्न हिस्सा हैं। ये वह आधार उपलब्ध कराते हैं जो ब्रांच के सभी सदस्यों को अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के कार्यान्वयन में मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है।

ब्रांच के लिए शासनादेश

क्राउन काउंसल एक्ट, R.S.B.C. 1996, c.87 के तहत ,ब्रांच या शाखा क्राउन की ओर से उन समस्त फौजदारी एवं विनियामक अभियोजनों तथा अपीलों के अनुमोदन व संचालन के लिए जिम्मेदार है जो कैनेडा सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। ब्रांच का प्रशासन असिस्टेंट डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल (ADAG) द्वारा देखा जाता है, जिसे *क्रिमिनल कोड* के प्रयोजनों हेतु *धारा 3(2) के तहत* अटॉर्नी जनरल के कानूनी डेप्यूटी के तौर पर नामोद्दिष्ट किया गया है। जबकि ADAG द्वारा क्राउन काउंसल, *तदर्थ* कानूनी सलाहकार, तथा विशेष अभियोजकों को नामित अथवा नियुक्त किया जाता है ताकि क्राउन की ओर से अभियोजनों तथा अपीलों का अनुमोदन और संचालन किया जा सके।

क्राउन काउंसल एक्ट, अटॉर्नी जनरल के माध्यम से ब्रांच और सरकार के बीच संबंधों को भी शासित करता है और इस शासनादेश के निर्वहन में ब्रांच को महत्वपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके अनुसार यह अपेक्षित है कि अटॉर्नी जनरल की ओर से कोई भी निर्देश चाहे ब्रांच की नीति पर हों या विशिष्ट अभियोजनों पर, लिखित रूप में होने चाहिए, जिन्हें बीसी के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही, यह स्वतंत्रता और जवाबदेही में संतुलन कायम करता है।

क्राउन काउंसल की भूमिका

न्यायालयों द्वारा क्राउन काउंसल को "मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस" कहा गया है। उनके कार्यों को "*अर्ध-न्यायिक*" के तौर पर बताया गया है। क्राउन काउंसल के लिए जरूरी है कि वह अपने विवेक का प्रयोग न्यायसंगत ,निष्पक्ष तरीके से , सद्भावना से, और उच्चतम नैतिक मानकों के अनुसार करे। अभियोजकों की कार्यवाही के तरीके पर किसी भी हाल में राजनीतिक, व्यक्तिगत, एवं निजी बातों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारी न्याय प्रणाली में क्राउन काउंसल की भूमिका और कार्यों को न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित शब्दों में बताया गया है:

> *अभियोजक की भूमिका में जीतने या हारने की भावना बिलकुल भी शामिल नहीं है; उसका कार्य लोक कर्तव्य का मामला है जिससे बढ़कर व्यक्तिगत जिम्मेदारी नागरिक जीवन में कोई और नहीं दी जा सकती।* इसे गौरव की दीर्घस्थाई भावना तथा न्यायिक कार्यवाही की गंभीरता एवं न्यायसंगतता के साथ दक्ष तरीके से निष्पादित करना होता है।
>
> (R v Boucher (1954), 110 CCC 263 (SCC) at 270, Rand J.)

> *न्याय प्रदानगी में क्राउन अटॉर्नी की भूमिका न्यायालयों के लिए तथा समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धमकियों और डराने के कृत्यों के बीच क्राउन अभियोजक को साहस के साथ कार्यवाही करनी जरूरी है। क्राउन अभियोजक के लिए जरूरी है कि वह न्याय का प्रतीक हो, सभी खुलासे शीघ्रता से करे लेकिन साथ*

> *ही गवाहों के कल्याण एवं सुरक्षा पर भी ईमानदारी से ध्यान दे। न्यायालयों द्वारा क्राउन अभियोजक से बहुत उम्मीदें की जाती हैं। समाज क्राउन अभियोजक को फौजदारी मामलों में एक सत्ता के प्रतीक और समाज के प्रवक्ता के रूप में देखता है। न्यायालयों और जनता का क्राउन अभियोजक में गहरा भरोसा होता है।*
>
> (R v Logiacco (1984), 11 CCC (3d) 374 (Ont CA), per Cory JA)

कानून का शासन

अभियोजन सेवाएं प्रदान करते समय, ब्रांच कानून के शासन द्वारा शासित होती है और उसका पालन करती है। कानून का शासन यह मानकर चलता है, और वास्तव में संवैधानिक रूप से अपेक्षा करता है, कि फौजदारी मामलों में कानून का प्रयोग करते समय न्यायाधीश और न्यायपीठें अपने समक्ष मौजूद साक्ष्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे, जिसमें गवाहों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण भी शामिल हैं, और यह कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। *अर्ध*-न्यायिक मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के तौर पर अपनी भूमिका निभातेसमय, क्राउन काउंसल का यह कर्तव्य है कि वे दोनों सिद्धांतों की जानकारी रखें और उनका सम्मान करें तथा बिना एहसान, पूर्वाग्रह, या पक्षपात किए उन्हें लागू करें। विशेष रूप से, क्राउन काउंसल प्रत्येक मामले की मजबूती का निर्धारण यह मानकर करेंगे कि न्यायाधीश तथा न्यायाधीश और न्यायपीठ भी इन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करेंगे।

नीति और अभियोजन पक्ष के विवेक में संतुलन कायम करना

नीति का प्राथमिक प्रयोजन मूलभूत मुद्दों पर निर्णय लेने में क्राउन काउंसल की सहायता करना है। विशिष्ट नीतियां उचित जनहित की बातों को दर्शाती हैं तथा विवेक के प्रयोग हेतु रूपरेखा उपलब्ध कराती हैं। जब भी उपयुक्त होता है, क्राउन काउंसल और भी सलाह तथा अनुमोदन लेता है। नीतियां अभियोजन पक्ष के विवेक की सीमा एवं उचित प्रयोग को शासित करने वाले न्यायशास्त्र को भी दर्शाती हैं।

बहुत वरिष्ठ क्राउन काउंसल भी सहकर्मियों की सलाह लेते हैं, और जब नीति के तहत आवश्यक हो, तो सुपरवाइज़रों का अनुमोदन भी प्राप्त करते हैं। कानूनी परिदृश्य सदा बदलता रहता है: कानून और न्यायशास्त्र, टेक्नोलॉजी, न्यायालय के नियम, और कार्यविधियां। व्यवसाय अथवा कार्यविधि के अपरिचित क्षेत्रों में नीति की सहायता लेना विशेष रूप से मददगार हो सकता है।

अभियोजन पक्ष के विवेक का संवैधानिक एवं ऐतिहासिक संदर्भ होता है। इसका प्रयोग केवल हमारी कानूनी परंपराओं एवं न्यायशास्त्र की रूपरेखा के भीतर किया जाता है। अटॉर्नी जनरल के नामोद्दिष्ट एजेंटों के तौर पर, क्राउन काउंसल अधिक बड़ी न्याय प्रणाली के भीतर कार्य करते हैं और उन पूर्व-उदाहरणों की सीमा के भीतर अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग करते हैं जो सदियों पुराने न्यायशास्त्र हमें मिले होते हैं।

अंतत: अटॉर्नी जनरल ही प्रोविंस में समस्त अभियोजनों के लिए जिम्मेदार होता है, और उसके लिए जरूरी है कि वह इस संवैधानिक भूमिका को स्वतंत्र एवं न्यायपूर्ण तरीके से निभाए। अटॉर्नी जनरल द्वारा यह कार्य क्राउन काउंसल को सौंप दिया जाता है, जो अटॉर्नी जनरल की ओर से अभियोजन का कार्य निभाता है। अटॉर्नी जनरल इस कार्य का पर्यवेक्षण करता है और अभियोजन संबंधी अधिकारों के समस्त प्रयोगों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है।

क्राउन काउंसल इस दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं कि वे भी उसी स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करते हैं जो अटॉर्नी जनरल की भूमिका में अंतर्निहित हैं। लेकिन, अटॉर्नी जनरल के एजेंटों के रूप में, क्राउन काउंसल अटॉर्नी जनरल को अपने विवेक का प्रयोग करने से अपरिवर्तनीय रूप से बांध नहीं सकते।

नीति में यह व्यवस्था की गई है कि वे अटॉर्नी जनरल के प्रति जवाबदेह होंगे तथा अभियोजन पक्ष के विवेक का एकसमान एवं सिद्धांतों पर आधारित प्रयोग करेंगे। अंतत :इसका लक्ष्य न्याय प्रणाली में जनता का भरोसा बढ़ाना है।

दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष के विवेक का उचित प्रयोग करने के लिए, प्रत्येक निर्णय पर न तो नीति का दासवत प्रयोग करना जरूरी है और न ही उसका समर्थन किया गया है। नीति हमें मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है, लेकिन प्रत्येक मामले के निर्णय को न तो वह निर्धारित कर सकती है और न उसे करना चाहिए। क्राउन काउंसल को ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो प्रत्येक मामले की अनूठी परिस्थितियांयों के अनुसार उपयुक्त हों।

नीतियों के अनुसार यह अपेक्षित हो सकता है कि जनहित के विशिष्ट कारकों को ध्यान में रखा जाए अथवा ब्रांच के विनिर्दिष्ट वरिष्ठ सदस्यों से सलाह ली जाए अथवा उपयुक्त स्थितियों में अनुमोदन दिया जाए। लेकिन, नीतियों के द्वारा क्राउन काउंसल के अभियोजन पक्ष संबंधी विवेक को पूरी तरह नहीं बांधा जाना चाहिए। मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की भूमिका की स्वतंत्रता को बनए रखना महत्वपूर्ण है। इस कारण, बहुत कम नीतियों में अनिवार्य निर्देश होते हैं। जहां होते हैं, उनमें असाधारण कारकों पर विचार करने के लिए गुंजाइश छोड़ी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विवेक के प्रयोग में उन सभी कारकों को उचित प्रकार ध्यान में रखा जा सके जो उस विशिष्ट मामले को प्रभावित करते हों। जहां नीतियों में स्पष्ट रूप से इसकी व्यवस्था नहीं होती है वहां भी, क्राउन काउंसल के पास नीति से हटने हेतु ADAG की सहमति लेने का विकल्प हमेशा खुला होता है यदि, अपने अभियोजन पक्ष संबंधी विवेक में, क्राउन काउंसल को न्यायसंगत परिणाम सुनिश्चित करना आवश्यक लगता हो।